भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3060

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

महिला शक्ति केंद्र

3060.श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) महिला शक्ति केंद्रों द्वारा समन्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में स्वीकृत और संचालित महिला शक्ति केंद्रों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार देश, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और अधिक महिला शक्ति केंद्रों को मंजूरी देने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना को नवंबर, 2017 में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में एमएसके योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था। इस योजना को मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं हितधारकों के परामर्श से दिनांक 01.04.2022 से बंद कर दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण हेतु पहलों को मजबूत करने के उद्देश्य से दिनांक 01.04.2022 से 'मिशन शक्ति' नामक अम्ब्रेला योजना कार्यान्वित कर रहा है। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत के घटक शामिल हैं।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (एचईडब्लू) के घटक शामिल हैं।

*****